



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



1 पौष, 1945 (श०)

संख्या - 765 राँची, शुक्रवार

22 दिसम्बर, 2023 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

20 दिसम्बर, 2023

विषय:-केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन **2-0** (अमृत **2-0**) अंतर्गत **7251-54** लाख रु. की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त धनवार शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या- SUDA/AMRUT 2.0/Dhanwar WS-17/2023/UDHD/5771--नगर विकास एवं आवास विभाग **74**वें संविधान संशोधन के आलोक में नागरिकों को मौलिक/बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है। इसी क्रम में धनवार शहरी जलापूर्ति परियोजना का सूत्रण किया गया है। इसके चरणबद्ध क्रियान्वयन के निमित्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार किया गया है, जिसके अनुसार धनवार शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्राक्कलित राशि **7251.54** लाख (बहतर करोड़ इकावन लाख चौवन हजार) रुपये है। यह परियोजना आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अमृत **2-0** योजनांतर्गत स्वीकृत है एवं DPR पर विभागीय तकनीकी कोषांग द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है ।

2- जनगणना **2011** के अनुसार इस निकाय क्षेत्र की जनसंख्या **15297** है एवं इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वर्तमान में निकाय क्षेत्र के लगभग **1200** घरों में आंशिक रूप से ईरगा नदी से जलापूर्ति की जाती है। किन्तु ईरगा नदी का पानी गर्मी में सुख जाता है एवं यहाँ अधिष्ठापित जलापूर्ति योजना काफी पुरानी हो गई है जिससे निकाय क्षेत्र में जलापूर्ति करना संभव नहीं है। इसलिए बराकर नदी से निकाय क्षेत्र में जलापूर्ति करने की योजना तैयार की गई है। वर्तमान में 0.1 ML Capacity का एक जलमिनार अधिष्ठापित है, जिसका उपयोग प्रस्तावित योजना अंतर्गत किया जायेगा ।

निकाय क्षेत्र में जलापूर्ति व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं रहने के कारण उत्पन्न कठिनाईयों के निराकरण एवं भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए वर्ष **2055** तक की जरूरतों के अनुसार Water Treatment Plant एवं Network Design तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत मुख्यतः 2.51 & 0.53 ML के **2** जल-मिनारों, 8.0 MLD का Water Treatment Plant, 30.878 KM Raw Water Rising Main Pipeline, 0.158 KM Clear Water Rising Main Pipeline, 30.93 KM Distribution Network एवं **5597** मीटरयुक्त House Service Connection प्रस्तावित है ।

3- इस परियोजना के प्रस्तावित अवयवों का ब्यौरा निम्नलिखित है : -

S.N.	Proposed Project Component	Details
1	Source	Barakar River
2	Infiltration Well + Gallery	1. Infiltration Well - 4.3 M Dia. 2. Approach Bridge length -20 mts. 3. Intake Well cum Jackwell - 6.0 M Dia.
3	Raw Water Rising Main(DI-K9, Dia-400 mm)	30.878 KM
4	Water Treatment Plant	8.0 MLD
5	Clear Water Rising Main (DI-K9, Dia-100-350 MM)	0.158 KM
6	Elevated Storage Reservoirs (ESR)-2 Nos.	2.51 ML & 0.53 ML
7	Distribution Network (DI- K7, Dia – 100 mm to 400 mm)	30.93 KM
8	House Service Connections	5597 Nos.
9	SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)	To monitor entire Water Supply Scheme
10	O&M of all component of schemes that is Pumping Machinery, Raw Water Rising Main, WTPs, Clear Water Rising Main, ESRs, Electrical Equipment, Water Distribution Network, HSCs, Existing component and SCADA system etc.	5 Years

4- इस परियोजना अंतर्गत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी Service Level Benchmarks को ध्यान में रखा गया है एवं अमृत **2-0** मिशन दिशा-निर्देशिका की कंडिका-4 के उपकंडिका-4-1 एवं कंडिका 6 के उपकंडिका 6-5-2(x) के आलोक में प्रस्तावित परियोजना के DPR में रख-रखाव (Operation & Maintenance) की तय समय-सीमा **5** वर्ष निर्धारित की गई है ।

5- इस परियोजना के क्रियान्वयन की अनुमानित प्राक्कलित राशि पर विभागीय तकनीकी कोषांग द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है, जो निम्नवत् है:

Sl. No.	Item Description	Total Amount
1	Infiltration Well, Jack Well including approach Bridge	167.68
2	Electrical & Mechanical Components of Intake	92.32
3	Raw Water Rising Main (400 MM Dia. & Length -30.878 KM)	2550.63
4	Water Treatment Plant (WTP) including electrical & mechanical items- Capacity-8 MLD	327.00
5	Clear Water Rising Main (100MM to 350 MM Dia. & Length-158 M)	56.81
6	Elevated Storage Reservoir (ESR) of capacity 2.51 ML (21 M staging)	180.49
7	Elevated Storage Reservoir (ESR) of capacity 0.53 ML (28 M staging)	73.02
8	Distribution System (30.93 KM)	787.95
9	House Service Connection (5597 Nos.)	293.95
10	SCADA	186.78
11	Staff Quarter, Compound Wall with Gate, and Approach Road	46.08
12	Environmental Mitigation Plan (EMP)	4.92
13	NH Crossing, and Railway Crossing	155.66
14	Capital Cost (1 to 13)	4923.29
15	Add:- GST@18%	886.19
A	Capital Cost with GST (14+15)	5809.48
B	Labour Cess @ 1% on A	58.09
C	Capital Cost with labour cess (A+B)	5867.57
D	Centage (JUIDCO Charges)	310.47
E	NH & Railway License Fee	135.00
F	Existing Structure Repairing	2.50
G	Total CAPEX of the Project (C to F)	6315.54
H	5 Years Expenditure in Operation & Maintenance (O&M)	
i	O&M for 1st year excluding annual repair charges	49.27
ii	O&M for 2nd year excluding annual repair charges	83.70
iii	O&M for 3rd year excluding annual repair charges	92.07
iv	O&M for 4th year excluding annual repair charges	101.27
v	O&M for 5th year excluding annual repair charges	111.40
I	O&M cost for 5 Years Excluding Electricity Charges (i to v)	437.71
J	Add:- GST@18% on O&M Cost without Electricity charges	78.79
K	Total O&M cost for 5 Years with GST (I+J)	516.50
L	Labour Cess @ 1% on O&M Cost (1% of K)	5.16
M	Total O&M Cost for 5 years excluding Electricity Charges (K+L)	521.66
N	Electricity Charges for 5 years O&M	414.34
O	Total O&M Cost for 5 years with Electricity Charges (OPEX) (M+N)	936.00
	Total Project Cost (CAPEX + OPEX) (G+O)	7251.54

6- अमृत 2-0 मिशन दिशा-निर्देशिका के कंडिका 5 के उपकंडिका 5-4 में योजनाओं हेतु वित्त पोषण अनुपात निर्धारित है, जिसमें 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों हेतु CAPEX में केन्द्रांश 50% एवं राज्यांश 50% निर्धारित है एवं कंडिका 6 के उपकंडिका 6-5-2 (x) में OPEX का वहन उपभोक्ता शुल्क/राज्य योजना मद की राशि से करने का प्रावधान है। पूर्व में इस योजना हेतु पंचखेरो जलाशय से पानी लेना प्रस्तावित था, जिसका प्राक्कलन SOR 2021 के अनुसार बनाया गया था, जिसमें GST दर 12% था। उससे योजना की प्राक्कलित राशि 3751-00 लाख

(CAPEX 3192-00 लाख एवं OPEX 559-00 लाख) रुपये हुई थी। योजना की इस लागत राशि पर अमृत 2-0 अंतर्गत निर्धारित उपरोक्त वित्त पोषण अनुपात पर अमृत 2-0 योजना अंतर्गत मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित State High Power Steering Committee (SHPSC) की दिनांक **09-03-2022** को आहूत बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित Apex Committee की दिनांक **16-03-2022** को आहूत बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है जो निम्नवत् है:-

(Amount in Lakhs)

Total project cost (CAPEX + OPEX)	CAPEX	OPEX	Funding Sources (CAPEX)		
			Central Share (50%)	State Share (50%)	
				State Share AMRUT	World Bank
3751.00	3192.00	559.00	1596.00	479.00	1117.00

5 वर्षों में योजना के रख-रखाव एवं संचालन में व्यय होने वाली (OPEX) राशि **559-00** लाख रु० का वहन उपभोक्ता शुल्क की राशि से करने का प्रावधान किया गया है। यदि इससे राशि पूरा नहीं होता है, तो राज्य योजना अंतर्गत सुसंगत मद की राशि से इसका वहन विभाग द्वारा करने का प्रावधान किया गया है।

7- इस योजना के CAPEX राशि के राज्यांश का **1117.00** लाख रु० JMDP अंतर्गत विश्व बैंक मद से कर्णांकित था, किन्तु दिनांक **13-09-2022** को विश्व बैंक समूह द्वारा सूचित किया गया कि जलापूर्ति के **14** योजनाओं में से **11** योजनाएँ International Water Ways policy (OP 7.50) के अनुरूप नहीं हैं। इसलिए विश्व बैंक से इन योजनाओं की स्वीकृति नहीं की जा सकती है। इन्हीं **11** जलापूर्ति योजनाओं में धनवार शहरी जलापूर्ति योजना सम्मिलित है। इस योजना हेतु विश्व बैंक मद से कर्णांकित राशि **1117.00** लाख रु० प्राप्त होने की सम्भावना नहीं है एवं इस राशि का वहन केन्द्रांश मद से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अमृत दिशानिर्देशिका के अनुसार योजना लागत (CAPEX) की अधिकतम **50%** राशि का वहन ही केन्द्रांश मद से किया जा सकता है। इसलिए उक्त राशि **1117.00** लाख रु० का वहन अमृत 2-0 के राज्यांश मद की राशि से करने के प्रस्ताव पर एक अन्य संचिका सं० JUIDCO/JMDP/DPR/10 ULBs/WS/2847/2021 में माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

8- पूर्व में धनवार शहरी जलापूर्ति योजना हेतु पंचखेरो जलाशय से पानी लेने की योजना थी, किन्तु कालान्तर में जल संसाधन विभाग द्वारा सूचित किया गया कि पंचखेरो जलाशय से सिंचाई हेतु एवं मरकच्चो तथा गोरहंद ग्रामीण जलापूर्ति योजना हेतु पानी दी जाती है। इसलिए इस जलाशय से नये जलापूर्ति योजना के लिए पानी दे पाना संभव नहीं है। साथ ही सुझाव दिया गया कि धनवार शहरी जलापूर्ति योजना हेतु बराकर नदी से पानी लिया जा सकता है। धनवार से

पंचखेरो जलाशय की दूरी **20** किमी है, जबकि धनवार से बराकर नदी की दूरी **31** किमी है। Raw Water Rising Main Pipeline लगभग **11** किमी बढ़ जाने के कारण योजना लागत में वृद्धि हुई है। साथ ही पूर्व में योजना का SoR **2021** के अनुसार बनाया गया था, जिसमें पानी पंचखेरो जलाशय से लेना प्रस्तावित था। उस समय योजना की लागत राशि **3751.00** लाख रु० थी। झारखण्ड सरकार का Schedule of Rate (SoR) **2022** प्रकाशित हो जाने के पश्चात् इस योजना के प्राक्कलन को SoR **2022** दर पर Revise किया गया। उक्त SoR में GST दर भी **12%** से बढ़कर **18%** हो गया है। जल स्रोत की दूरी बढ़ने, GST दर बढ़ने एवं SoR Revise होने के कारण योजना की कुल लागत राशि **7251.54** लाख रु० (CAPEX + OPEX) हो गई है।

उपरोक्त के आलोक में पूर्व में योजना की कुल CAPEX जो राशि **3192.00** लाख रु० था, प्राक्कलन Revise होने के पश्चात् राशि **6315.54** लाख रु० हो गया है। अर्थात् राशि **3123.54** (राशि **6315.54-3192.00**) लाख रु० की वृद्धि CAPEX में हुई है। योजना लागत (CAPEX) में हुई वृद्धि राशि **3123.54** लाख रु० का वहन राज्य योजना अंतर्गत सुसंगत मद की राशि से किया जायेगा एवं पूर्व में विश्व बैंक मद से कर्णांकित राशि **1117.00** लाख रु० का वहन अमृत **2-0** के राज्यांश मद की राशि से किया जायेगा।

इस योजना का **revised** वित्त पोषण ब्यौरा निम्नवत् है:-

(Amount in Lakhs)

Head	Total Cost	CAPEX-Funding Sources			OPEX
		Central Share	State Share		State budget/ User Charges
			State Share AMRUT	Additional State Share	
CAPEX	6315.54	1596.00	1596.00	3123.54	-
OPEX	936.00	--	--	--	936.00
Total	7251.54	1596.00	1596.00	3123.54	936.00

9- उपरोक्त तालिका के अनुसार प्रस्तावित परियोजना के कार्यान्वयन की लागत राशि (CAPEX) **6315.54** लाख रु० एवं **5** वर्षों तक के परिचालन एवं रख-रखाव में व्यय होने वाली राशि (OPEX) **936.00** लाख रु० है, अर्थात् कुल प्राक्कलित राशि **7251.54** लाख रु० है। CAPEX की राशि **1596.00** लाख रु० केन्द्रांश मद से, राशि **1596.00** लाख रु० राज्यांश मद से एवं राशि **3123.54** लाख रु० अतिरिक्त राज्यांश के रूप में विभागीय बजट के सुसंगत मद की राशि से वहन किया जायेगा। योजना के परिचालन एवं रख-रखाव (OPEX) मद में राशि **936.00** लाख रु० **5** वर्षों में व्यय होना संभावित है, जिसका वहन उपभोक्ता शुल्क एवं राज्य योजना अंतर्गत सुसंगत मद की राशि से किया जायेगा।

10- अतिरिक्त राज्यांश मद की राशि का वहन राज्य योजना अंतर्गत मुख्य शीर्ष **4217-** शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-**60**, लघुशीर्ष **051** निर्माण, उपशीर्ष-**51**-वृहत

शहरी परियोजना एवं नागरिक आधारभूत संरचना, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य, विपत्र कोड 48-S-4217-60-051-51-00-05-45 से किया जायेगा। साथ ही परियोजना के संचालन एवं रख-रखाव में (5 वर्षों के लिए) व्यय होने वाली राशि (OPEX) का वहन मुख्य शीर्ष-2215-जल पूर्ति तथा सफाई उप मुख्य शीर्ष-02 मल, जल तथा सफाई-लघुशीर्ष-193, नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता उपशीर्ष-05-पानी तथा मल-जल सफाई के लिए नगर पंचायतों एवं अधिसूचित क्षेत्र समितियों को सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान, 79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन), विपत्र कोड-48S22150219305000679 से किया जायेगा ।

11- अमृत 2-0 योजना अंतर्गत जलापूर्ति योजनाओं का रखरखाव 5 वर्षों तक किया जाना निर्धारित है। दिनांक 10-11-2022 को आहूत मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या 17 के रूप में अमृत 2-0 अंतर्गत रामगढ़ शहरी जलापूर्ति योजना हेतु Model Bid Document की स्वीकृति प्रदान की गई है (विभागीय संकल्प संख्या 3877 दिनांक 11-11-2022)। इसी Model Bid Document का उपयोग धनवार शहरी जलापूर्ति योजना हेतु किया जायेगा ।

12- धनवार नगर पंचायत में बड़ी जलापूर्ति योजना के निर्माणक्रियान्वयन हेतु सक्षम स्तर के मानव बल की कमी है, इसलिए उक्त परियोजना का क्रियान्वयन जुडको लि० द्वारा किया जायेगा। जुडको लि० द्वारा Online माध्यम से निविदा (Jharkhand Tenders Portal) खुली प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया राष्ट्रीय (Open Competitive Bidding-National) के तहत आमंत्रित किया जायेगा। साथ ही निर्धारित प्रक्रियानुसार निविदा कार्य का निष्पादन ससमय करते हुए कार्य आवंटित किया जायेगा एवं योजना का क्रियान्वयन कराया जायेगा ।

13- चयनित संवेदक द्वारा उद्धृत राशि स्वीकृत प्राक्कलित राशि से अनुज्ञेय सीमा तक अधिक होने की स्थिति में सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत कार्य आवंटित किया जायेगा। इस क्रम में अतिरिक्त राशि का वहन राज्य योजना अंतर्गत सुसंगत मद की राशि से किया जायेगा। साथ ही योजना क्रियान्वयन के क्रम में किन्ही कारणों से योजना लागत में वृद्धि होती है तो उस राशि का वहन भी राज्य योजना अंतर्गत सुसंगत मद की राशि से किया जायेगा ।

14- जलापूर्ति योजना हेतु पानी बराकर नदी से लिया जायेगा। इस हेतु जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के पत्रांक 2/PMC/560/2017 Part-I-620 दिनांक 11-07-2023 द्वारा अनापित प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है एवं DVC स्तर से NOC निर्गत करने की कार्रवाई की जा रही है। योजना अंतर्गत ESR एवं WTP के निर्माण हेतु उपायुक्त कार्यालय, गिरिडीह के पत्रांक 2165 दिनांक 16-09-2022 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को भूमि हस्तांतरित कर दी गई है ।

15- आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में अमृत अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं हेतु प्राप्त सभी राशि इस हेतु नामित State Nodel Agency, राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) अंतर्गत अमृत मिशन के पृथक बैंक खाते (SNA A/C) में संधारित किया जाता है। यह बैंक खाता वित्त विभाग से अनुमोदनोपरांत संधारित किया गया है। इसी बैंक खाते से उपर्युक्त परियोजना का क्रियान्वयन करने वाली संस्था को नियमानुसार राशि का आवंटन राज्य शहरी विकास अभिकरण के स्तर से किया जायेगा।

16- परियोजना के रख-रखाव हेतु निर्धारित 5 वर्ष की समय-सीमा के लिए एक कार्य योजना (O&M Plan) तैयार की गई है, जिसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :-

- क) रख-रखाव हेतु चयनित संस्था की वांछित योग्यता का निर्धारण किया गया है।
- ख) जलापूर्ति की गुणवत्ता एवं निर्बाध सेवा को ध्यान में रखते हुए मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं, जिनके आधार पर उक्त कार्य हेतु चयनित संवेदक के भुगतान का आकलन किया जायेगा।
- ग) रख-रखाव अवधि के दौरान संवेदक द्वारा मीटर रीडिंग कर निकाय द्वारा निर्धारित किए गए जल उपभोग शुल्क (Water User Chages) के अनुसार नवीनतम तकनीकों (E-mail, SMS आदि) का उपयोग करते हुए सभी उपभोक्ताओं को विपत्र उपलब्ध कराया जायेगा। निकाय अथवा निकाय द्वारा राजस्व/कर संग्रहण करने हेतु चयनित संस्था के माध्यम से उपभोक्ताओं द्वारा विपत्र के विरुद्ध राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
- घ) संवेदक को रख-रखाव के विरुद्ध राशि का भुगतान परियोजना के निविदा दस्तावेज में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

17- केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन **2-0** (अमृत **2-0**) अंतर्गत **7251.54** लाख रु. की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त धनवार शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

18- उपरोक्त प्रस्तावों पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक **07-12-2023** को सम्पन्न बैठक में मद सं० **09** के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव।
